

# FORM NO. III

## फर्ड अहकाम (नियम-26)

अज अदालत सिद्धांत डलकर (S.D.O.) नियम वामुड  
आत्मा राम बनाम उजला राम  
 किस्म मुकदमा 111, 128 RLR Act. नं. 93/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19-3-21	<p>प्राथी / प्राथीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री <u>महानीरजीण</u> ने अन्तर्गत धारा 111,128.आर.एल.आर का पेश किया। जिस पर कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया बाद पत्र रजिस्टर हो विप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के सम्मन मय प्रार्थना पत्र की प्रति के जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल / जवाबदावा दिनांक <u>30-4-21</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i>  <b>सहायक कमिश्नर (S.D.O.) वावुड</b></p>	
30/04/2021	<p>पत्रावली पेश हुई वकूलाय भरिक्कन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्लवा हाकर दिनांक <u>05/07/2021</u></p> <p><u>डॉ पेश हा/अ</u></p>	
05/07/2021	<p>पत्रावली पेश हुई वकूलाय भरिक्कन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है <u>14/10/2021</u></p> <p>अतः पत्रावली इल्लवा हाकर दिनांक <u>14/10/2021</u></p> <p><u>डॉ पेश हा/अ</u></p>	
14/10/2021	<p>प्राथी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जारी रजिस्टर्ड एडी मिजबामे गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई थी तामिल पीठासीन अधिकारी उवासन गैरों के लिये मिश्र-यान-2021 केमों में व्यत्य होने से मिश्राल इल्लवा होडर तामिल दिनांक- <u>17/02/2022</u> डॉ <u>पेश हा/अ</u></p>	

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज

हुक्म

17/02/2022

शर्मा वहील उपस्थित। शर्मा वहील द्वारा विपक्षीगणों के नोटिस मय रजिस्ट्री प्रयत्न पुनः पेश किया गया जो जारी होकर पञ्जाबली दिनांक 28/03/2022 से पेश हो।

2022

28/03/2022

सहायक कलक्टर (S.D.O) बायतु

शर्मा वहील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस जारी रजिस्ट्रड एडो मिजवापे गये जिनकी डिप्लेट रजिस्ट्री शर्मा वहील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पञ्जाबली किया गया। विपक्षीगण वाक्यसूचना हेतु उपस्थित। अगला समम तीन बार आवज लगाई गई, अन्तिम आवज 5-45 PM पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई शर्मा वहील उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एडवरनां सापेक्षी प्रेमल के लाई जाती है। अतः पाल्ते वडम पञ्जाबली दिनांक - 28/04/2022 से पेश हो।

सहायक कलक्टर (S.D.O) बायतु

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

28/04/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद/2022/517

दिनांक : 28/04/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. आत्माराम पुत्र पोकरराम,  
जाति मेगवाल, निवासी रूगोणी मेगवालों की,  
की ढाणी, पटवार मण्डल बायतु पनजी,  
तहसील बायतु (बाडमेर)


1. अजबाराम पुत्र पोकरराम वगैरा 19,  
जाति मेगवाल, निवासी रूगोणी मेगवालों की  
ढाणी, पटवार मण्डल बायतु भीमजी,  
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 93/2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - रूगोणी मेगवालों की ढाणी, पटवार मण्डल - बायतु भीमजी, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 865/733 रकबा 8.2518 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2022/517-522

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का बायतु भीमजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री आत्माराम पुत्र पोकरराम,
4. विप्रार्थी श्री अजबाराम पुत्र पोकरराम वगैरा 19,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

(जगदीश सिंह आशिया)  
सहायक उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 28/04/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(SDO) बायतु